तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ओंकार योगी vs राज० सरकार 106/दावा/2019	
7/6/24	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटिंग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक...21-6-24... को पेश हो। पूर्व दस्तावेजात प्रार्थी ने पेश किये, जो शा. मिसल किये गये।	
21/6/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण उप० है। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक- 4/7/2024 को पेश हो।	
4/7/24	पत्रावली पेश। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक- 12/07/2024 को पेश हो।	
12/7/24	पत्रावली पेश। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक- 15/07/2024 को पेश हो।	
15/7/24	पत्रावली पेश। वकील वादीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। वादीगण विवादित भूमि खाता संख्या 124 की भूमि खसरा संख्या 630 ग्राम कचनारिया पटवार मण्डल मेण्डी जो कि उनकी लीजदारी में दर्ज है में दर्ज जाति जोगी को दुरूस्त करवाकर अपनी जाति नाथ बाबाजी अंकन करवाना चाहते हैं। इस बाबत उनके द्वारा अपने आधार कार्ड प्रस्तुत किए है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में विवादित भूमि वादीगण के नाम लीजदारी में दर्ज है। जिनमें इनकी जाति भू–प्रबन्धन से पूर्व ही जोगी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रथमतः P.T.O. →	उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(निमय 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

किस्म मुकदमा...नं.............................सन्....................

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लीजदारी से खातेदारी अधिकारों की घोषणा के साथ जाति शुद्धि चाही गई है। वादीगण को खातेदारी अधिकारों की प्रक्रिया अपनाकर खातेदारी अधिकारों का अंकन करवाना चाहिए। रिकॉर्ड में लीजदार दर्ज होने से प्रकरण जाति दुरूस्ती नहीं बनता है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई परिपत्र/नियम पेश नही किए है जिससे कि उनको लीजदार से खातेदार दर्ज किया जावे या उनकी जाति परिवर्तन की जावे। वादीगण अपने वाद को साक्ष्यों के अभाव में प्रमाणित करने में असफल रहें है। अतः वाद वादीगण साक्ष्यों के अभाव में प्रमाणित/साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	
28/11/24	पत्रावली पेश। न्यायालय निर्णय दिनांक 15/7/24 अनुसार पूर्व मे डिक्री जारी नही होने से न्यायालय निर्णयानुसार आज डिक्री पर्चा जारी किया गया। पत्रावली निर्णय दिनांक मे सुरक्षित रखे जावे। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	